URGENT

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमाकः प.16(2)शिक्षा–2 / 2014 जयपुर, दिनांक 29.4.19

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर।

विषय : **India Code Portal (ICP)** पर राज्य अधिनियमों एवं अधीनस्थ विधायन (नियमों, विनियमों, अधिसूनाओं, परिपत्र इत्यादि को अपलोड किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशिष्ठ शासन सचिव, विधायी प्रारूप, विधि (संहिताकरण एवं प्रकाशन) विभाग से प्राप्त अशा.टीप दिनांक 14.03.2019 एवं इसके साथ संलग्नकों की प्रति प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि विशिष्ठ शासन सचिव, विधायी प्रारूप, विधि (संहिताकरण एवं प्रकाशन) विभाग से प्राप्त अशा.टीप की प्रति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का प्रेषित कर विधि (संहिताकरण एवं प्रकाशन) विभाग के चाहेनुसार India Code Portal पर अधिनियमों, नियमों इत्यादि को उनमें समय–समय पर हुए पश्चात्वर्ती संशोधनों को भी मूल कानून में समाविष्ट करते हुए MS Word में document form में टाइप करके searchable PDF में कन्वर्ट करके 7 दिवस में अपलोड करवाकर इस विभाग को अविलम्ब अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

29/4/19

(डॉ0 राष्ट्रदीप यादव)
शासन उप सचिव,
माध्यमिक शिक्षा

E:\Prakash All file\Rameshwar\Rules\Rules letter.doc

राजस्थान सरकार
विधि (संहिताकरण एवं प्रकाशन) विभाग

क्रमांक 1481 5.4.19

डायरी संख्या 5/1442 दिनांक 15/3

विषयः– India Code Portal (ICP) पर राज्य अधिनियमों एवं अधीनस्थ विधान (नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों इत्यादि) को अपलोड किये जाने बाबत्।

सन्दर्भः– संयुक्त सचिव, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का अशा. पत्र क्रमांक 11/46/2015 (ICP) दिनांक 13.12.2018 एवं 28.02.2019 ।

JS-III/ALLDSI

उपरोक्त संदर्भित अशा.पत्रों की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए निवेदन है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में India Code Portal (ICP) पर राज्य अधिनियमों और अधीनस्थ विधायन (नियम, विनियम इत्यादि) को अपलोड किया जाना है।

चूंकि राजस्थान राज्य के स्तर पर एक केन्द्रीकृत वेबसाइट के संदर्भ में उस पर कानूनों संबंधी सम्पूर्ण डाटा अपलोड किये जाने हेतु समस्त प्रशासनिक विभागों में एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर समस्त विभागों द्वारा कानूनों को केन्द्रीकृत वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, किन्तु अपलोडेड कानून इकजाई स्थिति में नहीं है अर्थात् अधिकांश स्केन्ड प्रतियों में अपलोड किये गये हैं और उनमें संशोधन समाविष्ट नहीं हैं। जबकि संदर्भित अशा. पत्रों द्वारा India Code Portal पर अधिनियमों, नियमों इत्यादि को उनमें समय-समय पर हुए पश्चात्वर्ती संशोधनों को भी मूल कानून में समाविष्ट करते हुए MS Word में document form में टाइप करके searchable PDF में कन्वर्ट करके अपलोड किये जाने हेतु निदेशित किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में उक्त विषयक विचाराधीन प्रकरण की आगामी सुनवाई तारीख 26.04.2019 नियत है, इसलिए उक्त कार्य को मार्च, 2019 के अंत तक सम्पादित कराये जाने हेतु निदेशित किया गया है।

उक्त कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु राजस्थान राज्य की ओर से अधोहस्ताक्षरी को सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मुख्य नोडल अधिकारी (Chief Nodal Officer) नियुक्त किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि आपके विभाग में केन्द्रीकृत वेबसाइट पर कानूनों संबंधी समस्त डाटा अपलोड किये जाने हेतु इस विभाग की अशा.टीप दिनांक 27.10.2017 के अनुसार नियुक्त नोडल अधिकारियों को ही India Code Portal पर आपके विभाग से संबंधित अधिनियमों, नियमों इत्यादि को उनमें समय-समय पर हुए पश्चात्वर्ती संशोधनों को मूल कानून में समाविष्ट करते हुए MS Word में document form में टाइप करके searchable PDF में कन्वर्ट करके तैयार करने हेतु निदेशित करावें ताकि India Code Portal (ICP) पर राजस्थान राज्य के अधिनियमों, नियमों, विनियमों इत्यादि को अपलोड कराया जा सके। Searchable PDF तैयार किये जाने हेतु संदर्भित अशा.पत्र में उल्लिखित निर्देशों का पालन किया जाना भी कृपया सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

प्रकरण JLR से संबंधित है अतः URGENT पत्र पर ही आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य नोडल अधिकारी, ICP
एवं विशिष्ट शासन सचिव, विधायी प्रारूपण

समस्त अति0 मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव